भारत का संविधान

भारत द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अपनी संवैधानिक नीति का निर्धारण किया जाएगा

1. महिला–पुरूषों के स्वास्थ्य, शक्ति एवं बच्चों के बचपन का दुरूपयोग नही करना एवं भारतीय नागरिकों को आर्थिक विवशता के कारण से रोजगार करने पर मजबूर नही करना जो उनकी आयु व शक्ति के अनुरूप नही हो।

2. बच्चों का स्वस्थ रूप व स्वतन्त्र एवं सम्मानजनक वातावरण में विकास सुनिश्चित करना एवं युवाओं को शोषण व नैतिक बहिष्कार से बचाना।

"भारतीय संविधान–अनुच्छेद 39"

UN-CRC सुंयक्त राष्ट्र की बाल अधिकारों पर साझां नीति

राज्य विशेष रूप से अपने नीतियों का निर्धारण निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए करेगा।

अनुच्छेद–1–18 वर्ष से कम आयु का कोई भी ईन्सान बच्चा कहलायेगा।

अनुच्छेद–2–किसी भी बच्चों को अपने जाति, धर्म, रंग, लिंग, योग्यता, अर्थनैतिक स्थिति, इत्यादि के आधार पर अपने अधिकारों से वंचित नही किया जाएगा।

अनुच्छेद–3–सभी प्रतिष्ठान, सरकार, प्रशासन, न्यायिक प्रतिष्ठान, जो भी बच्चों से सम्बधिंत गतिविधियॉ करेगी उनमें बच्चों के हित को सर्वोपरि मान कर करना होगा।

अनुच्छेद–4–प्रत्येक देश की सरकार बच्चों के अधिकारों को प्रयोग में लाने के लिए कोई भी न्यायिक, संवैधानिक या अन्य कदम उठाएगें।

अनुच्छेद–5–माता–पिता व उसके परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चें को अच्छा पालन–पोषण दें। तथा सरकार उसकी जिम्मेदारी का सम्मान करे। और उनको अच्छे अवसर उपलब्ध करावें।

अनुच्छेद–6–सभी बच्चों को जीवन का अधिकार है और सरकार बच्चों की जीवन और विकास को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेगी।

अनुच्छेद–7–बच्चें की जन्म के बाद उसका तुरन्त पंजीकरण होना चाहिए और उसे जन्म से ही नाम, देश की नागरिकता, अपने पिता–पिता के आदर और यत्न का अधिकार है।

अनुच्छेद–8–बच्चें को अपनी पहचान, नाम, राष्ट्रीयता एवं पारिवारिक सम्बन्धों को संरक्षित करने का अधिकार है, और कोई भी बच्चा जिसे गैर कानुनी तरीके से इन अधिकारो से

वंचित रखा गया है, सरकार उसे सुरक्षा और सहायता देगी जिससे वह अपनी पहचान फिर से पा सके।

अनुच्छेद–9–सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बच्चा अपने इच्छा के विरूद्व अपने माता–पिता से अलग न हो जब तक कि अलग रहना हित में हो। जैसे–यदि माता–पिता बच्चें को अपेक्षित या कुण्ठित रखता है।

यदि माता–पिता अलग–अलग रहतें है तो बच्चें को दोनो से नियमित सम्पर्क रखने का अधिकार है, जब तक कि यह बच्चें की सर्वाधिक हित के विपरीत न हो।

अनुच्छेद–10–बच्चें व उनके माता–पिता को यह अधिकार है, कि वह अपने बच्चें या माता–पिता व बच्चें के बीच सम्बन्ध बनाए रखने के लिए वह किसी देश की सीमा को छोड़कर अपने देश में प्रवेश कर सकते है।

अनुच्छेद–11–सरकार प्रतिबद्व है कि बच्चों के हो रहें अपहरण को रोक सके। तथा अप्रहित बच्चें को छुटकारा दिला सके।

अनुच्छेद–12–बच्चों को उन सभी विषयों पर जो उनके जीवन को प्रभावित करता है उन पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है।

अनुच्छेद–13–बच्चों को सही सूचना प्राप्त करने, अपने भाव या विचार स्वतंत्र रूप से गठन एवं प्रकट करने का अधिकार है।

अनुच्छेद–14–सरकार बच्चों के विचार, सोच, धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करने के लिए वचनबद्व है।

अनुच्छेद–15–बच्चों को एक–दूसरे से मिलने, किसी संगठन से जुड़ने या अपना संगठन बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद–16–बच्चों को अपनी निजी जिन्दगी की रक्षा करने का अधिकार है, अगर कोई बच्चों की निजी जिन्दगी में हस्तक्षेप करता है, तो सरकार उसे कानूनी सहायता देने के लिए जवाबदेह है।

अनुच्छेद–17–सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह बच्चों के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय तथ्यों को उपलब्ध कराए। इसके लिए सरकार मास–मिडिया को बच्चों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाने एवं प्रचार–प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

अनुच्छेद–18–सरकार इस बात को अहमियत देगी कि प्राथमिक रूप से माता–पिता ही बच्चें की परवरिश के लिए सर्वोतम है, सरकार माता–पिता को उनकी जिम्मेदारी निभाने में विभिन्न संस्थागत ढ़ांचों के माध्यम से सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।

अनुच्छेद–19–बच्चों के शारीरिक, मानसिक शोषण को रोकने के लिए सरकार सभी प्रकार के न्यायिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं शैक्षिक कदम उठाएगी।

अनुच्छेद–20–जो बच्चें अपने परिवार से वचिंत है, सरकार उन्हैं विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार को ऐसे वंचित बच्चों को प्यार एवं देखभाल के लिए संस्थागत सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।

अनुच्छेद–21–जिन देशों में गोद लेना कानूनी है, वहॉ यह प्रक्रिया बच्चें के सर्वाधिक हित को ध्यान में रखते हुए सम्पन्न करना चाहिए एवं इसके संदर्भ व्यक्ति या अधिकारी की सहमति होनी जरूरी है।

अनुच्छेद–22–शरणार्थी बच्चों के सुरक्षा के लिए सरकार विशेष कदम उठाएगी, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे उपयुक्त संस्था को इस तरह की सुरक्षा प्रदान करती है। उससे संपर्क स्थापित करके उनका सहयोग लें।

अनुच्छेद–23–विकलांग बच्चों को विशेष यत्न, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अधिकार है, जिससे कि वह एक अपने पैरो पर खड़ा होकर अच्छी जिन्दगी बिता सके। सभी प्रयास विकलांग बच्चों को समाज के मूलस्त्रोत से जोड़ने के लिए होनी चाहिए।

अनुच्छेद–24–सभी बच्चों को उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ पाने का अधिकार है। सरकार विशेष रूप से प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शिशु मृत्यू दर कम करने पर जोर देगी। स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार अन्तराष्ट्रीय सहायता को प्रोत्साहित करेगी एवं इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई भी बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न हो।

अनुच्छेद–25–अगर किसी बच्चें को सरकार द्वारा किसी संस्था में विशेष यत्न, सुरक्षा या चिकित्सा के लिए भेजा गया है, तो समय–समय पर बच्चों को दी गई सुविधाओं एवं परिस्थिति का आंकलन करना होगा।

अनुच्छेद–26–बच्चें को सामाजिक सुरक्षा योजना एवं सामाजिक बिमा से लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद–27–सभी बच्चों को ऐसा जीवन स्तर पाने का अधिकार है, जिससे उनका उपयुक्त शरीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास हो सके। माता–पिता प्राथमिक रूप से बच्चें को एक उपयुक्त जीवन स्तर देने के लिए दायी है। इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का यह दायित्व है कि वह बच्चें या उसके माता–पिता को उपयुक्त सहायता प्रदान करे।

अनुच्छेद–28–सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। सरकार की यह जवाबदारी है कि सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएँ। साथ ही

उच्च–प्राथमिक एवं विश्वविधालय स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगी। विधालय का अनुशासन बच्चों के अधिकार एवं गरीमा के अनुरूप होना चाहिए।

अनुच्छेद–29–शिक्षा का लक्ष्य बच्चों के व्यक्तित्व, प्रतिभा, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करना है। बच्चें को एक सक्रिय वयस्क तैयार करने, स्वतन्त्र समाज का निर्माण करने में शिक्षा का योगदान होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में उनकी माता–पिता अपनी संस्कृति, भाषा एवं सामाजिक मूल्य, दूसरे के प्रति आदर भावना को बढ़ावा देना है।

अनुच्छेद–30–ऐसे देश जहॉ धार्मिक या भाषागत अल्पसंख्यक रहतें है, वहॉ उस मूल के बच्चों को अपने अधिकारों से वंचित नही किया जाएगा और ये बच्चें अपनी संस्कृति, धर्म या भाषा को अपनाने के लिए स्वतन्त्र होगें।

अनुच्छेद–31–बच्चों को खेलने–कुदने, आराम और उनके उम्र और रूची के अनुरूप मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कला में भाग लेने का अधिकार है। सरकार बच्चें के इस अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकुल कदम उठाएगी।

अनुच्छेद–32–बच्चों को आर्थिक शोषण और ऐसे कार्य जो उसके लिए खतरनाक या उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, शारिरीक, मानसिक, नैतिक या सामाजिक विकास में बाधक हो, से सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद–33–सरकार सभी प्रकार के संवैधानिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं शैक्षिक कदम उठाएगी। जिससे बच्चों का प्रयोग नशीले दवाईयों की खरीद–फरोक एवं उसके उत्पादन में नही किया जा सके।

अनुच्छेद–34–सरकार की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन शोषण या उत्पीड़न से रक्षा करेगी।

अनुच्छेद–35–सरकार राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय सभी प्रकार के कदम उठाएगी जिससे बच्चों का अपहरण या खरीद–फरोक–किसी भी कारणवश नही हो सके।

अनुच्छेद–36–सरकार बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण जिससे उसका अहित होता हो, उससे रक्षा प्रदान करेगी।

अनुच्छेद–37–सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि

1. किसी भी बच्चें के साथ अमानविय या कठोर व्यवहार नही किया जायेगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी अपराध के लिए मौत या उम्रकैद की सजा नही दी जाएगी।
2. किसी भी बच्चें को गैरकानुनी तरीके से उसकी स्वतंन्त्रता से वंचित नही किया जाएगा। किसी भी बच्चें की गिरफ्तारी कानुन के अनुसार हो और गिरफ्तारी सबसे आखरी कदम होगी और कम से कम समय के लिए।

3. किसी भी वंचित बच्चें के साथ ईज्जत एवं मानवीयता के साथ पेश आना होगा।
4. कोई भी बच्चा अपनी आजादी से वंचित है, उनका यह अधिकार है कि उसे जल्द कानुनी सहायता मिले।

अनुच्छेद–38–15 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चें को फौज में भर्ती नही किया जा सकता। युद्ध पीड़ित बच्चों को सुरक्षा एवं यत्न प्रदान करने के लिए सरकार सभी प्रकार के कदम उठाएगी।

अनुच्छेद–39–कोई भी बच्चा जो किसी भी कारणों से जैसे अवहेलना, शोषण, उत्पीड़न, कठोर या अमानविय व्यवहार से पीड़ित है, उसके शारीरिक और मानसिक पुनःउद्वार एवं उसे समाज के मूलःस्त्रोत में जोड़ने के लिए सरकार सभी प्रकार के कदम उठाएगी।

अनुच्छेद–40–कोई भी बच्चा अगर गैरकानुनी काम करता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना होगा, जिससे वह मानव अधिकार एवं नैतिक स्वतन्त्रता के मोल को समझ सके।

अगर किसी बच्चें पर कानुन के उलघंन की शिकायत है तो उसेंः

1. तब तक बेकसूर समझा जाएगा। जब तक शिकायत प्रमाण नही हो जाता है।
2. बच्चें को उसके खिलाफ की गई शिकायत की जानकारी देना होगा और उसे कानुनी मद्द पाने में सहायता करना होगा।
3. सम्बधिंत मामले का जल्द से जल्द निष्पादन करना होगा।

अनुच्छेद–41–इस सम्मेलन में बाल अधिकारों पर लिए गए फैसले, किसी देश का वर्तमान कानुन अगर इससे बेहतर बाल अधिकारों का संरक्षण करता हैं, तो उस पर उपरोक्त बाल अधिकार लागू करना आवश्यक नही होगे।

अनुच्छेद–42– बाल अधिकारों का व्यापक रूप से प्रचार करेगी।

अनुच्छेद–43–54 राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय सरकार बाल अधिकारों का व्यापक रूप से प्रचार करेगी।